



सुभाष कंगडिया - आदिवासी मु.न. 235/2011

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15-4-12	<p>व्याजकी वस्तुतः बलीय नदीगड / देवगोठ उपखण्ड                      क्षेत्र में अतिरिक्त भूखण्ड का                      एक है। अतः पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 3-6-19                      को रद्द होत</p>	
3-6-12	<p>व्याजकी वस्तुतः बलीय नदीगड / देवगोठ उपखण्ड                      क्षेत्र में                      एक है। अतः पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 2-8-19                      को रद्द होत</p>	
2-8-19	<p>व्याजकी वस्तुतः बलीय नदीगड / देवगोठ उपखण्ड                      क्षेत्र में                      एक है। अतः पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 4-10-19                      को रद्द होत</p>	
4-10-19	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को                      बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सायंकाल                      6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया                      उससे वायजुद अपीलान्त एवं समके अधिनस्ता                      अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपीलान्त अदम हाजरी                      एवं अदम पैरवी में खारिज हो जाती है। निर्णय से इजलास                      सुनाया गया। प्रकरण फौरन सुमार जेकर नम्बर से कम होकर                      बाद चरतीय तकमील दाखिल रफतार हो।</p> <p style="text-align: center;">                       पदेन राजस्व अधिकारी                      अधिकारी                 </p>	